

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2025/40 ✓

| किरम मुकदमा 1 | नंबर मुकदमा 2 | तारीख दाखल 3 | तारीख फैसला 4 | पेशी दिनांक 5 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| इजराय कोटेशा 21 का निपटम 11 | 03/25 03/25 | 17/2/25 | | 10/3/25 19/3/25 9/4/25 16/4/25 7/5/25 5/6/25 26/6/25 |
| (88-188) | | | | |

अनवान

श्री रामचन्द्र पुत्र किलना ब्रील

श्री ऊंकार पुत्र बीरद, ब्रील

निवासी जाम्वालोद, तह. बुंदी

निवासी बिलसंग

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्य

डिक्रीदार

मदयून

श्री मुनेरा धावस

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजौलियां

रामचन्द्र

बनाम

अंकार

किरम मुकदमा - इजराय आदेश - 21 नियम-11

नम्बर 03 / 2025

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|--------------|---|--|
| 17/02 / 2024 | <p>इजराय सीगे से वाद जांच पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार विजौलियां को भेज पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 10/3 / 2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विजौलियां</p> | |
| 10/3/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते उपस्थित श्री... पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">इ. वाल्मग रिवॉर्ट उपखण्ड अधिकारी</p> | |
| 19/3/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इ. वाल्मग रिवॉर्ट आगामी दिनांक 21/4/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उ</p> | |
| 21/4/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इ. वाल्मग रिवॉर्ट आगामी दिनांक 16/4/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उ</p> | |
| 16/4/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इ. वाल्मग रिवॉर्ट आगामी दिनांक 15/5/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उ</p> | |
| 15/5/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इ. वाल्मग रिवॉर्ट आगामी दिनांक 5/6/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उ</p> | |

अभिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। वाद की प्रतीति बाबत वादीगण ने पीडब्ल्यू-1 रीताराम पिता भंवरदास जाति वैरागी नि० गुढा एवं पीडब्ल्यू 2 भेरूलाल पिता नन्दा जाति शाकड नि० गुढा के बयान कराये हैं। उक्त वादीगण भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति बदले में मुआवजा दिलाये जाने की मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया।

पत्रावली में वादीगण द्वारा मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियों स्थित आराजी संख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण राहुल, अंकित पिता राजू सन्तोष पत्नि स्व० राजू जाति बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं आराजी नम्बर 472/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी गोरू पिता आसु बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.2040 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी प्रकाश पिता हरिसिंह बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी रोडू पिता मांगू बन्जारा निवासी चम्पापुर का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की मांग की बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण चाही हैं। जो वादीगण की पत्रावली में पेश प्रमाण एवं साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य हैं।

—: आदेश :—

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 183- 188 राजस्थान कांशतकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी संख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण राहुल, अंकित पिता राजू सन्तोष पत्नि स्व० राजू जाति बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं आराजी नम्बर 472/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी गोरू पिता आसु बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.2040 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी प्रकाश पिता हरिसिंह बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी रोडू पिता मांगू बन्जारा निवासी चम्पापुर को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावे। एवं वादीगण की पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने, वादीगण के कब्जे कांशत में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य कारणों से हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना भुगतान करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

आदेश आज दिनांक 07/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में प्रमाणित किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

5/6/25 पंजाबली घेरा इरी पंजाबली वास्ते इ रिपोर्ट
(रजक) भागामती दिग्ग 26/6/25 ओ घेरा ही

३

26/6/25 पंजाबली घेरा इरी तहसीलदार बिजोलियाँ से च
प्राप्त । पंजाबली वास्ते इ. पालग रिपोर्ट मा
दिग्ग 9/7/25 ओ घेरा ही

३

9/7/25 पंजाबली घेरा इरी तहसीलदार बिजोलिया से
प्राप्त इरी, मिले ठामर दरामद होग ब्याया
पंजाबली उम्बर से कम होउए, दाखिल एक्टर ही

३

उप सचिव अधिकारी
बिजोलियाँ जिला-भीलवाड़ा